## धारा 12 : नियम बनाने की शक्ति

**(1)** केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

**(2)** विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :

**(क)** ऐसी शर्तें, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखंड (छ) में निर्दिष्ट राज्यों के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की गई थी;

**(ख)** ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए क्रमिक राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किए गए राजस्वों का कोई भाग धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा;

**(ग)** धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा प्रतिकर के प्रतिदाय की रीति;

**(घ)** धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की रीति तथा उसके अधिरोपण की अवधि;

**(ड.)** धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के संदाय के लिए, विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने के लिए तथा उपकर के प्रतिदाय के लिए रीति और प्ररूप; और

**(च)** ऐसा कोई अन्य विषय, जो इन नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना है।